राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:– एफ 951(19) ( )परावि/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सुनिया/ 7304 जयपुर, दिनांक 11|10|2017

–:अधिसूचना:–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक–एफ 951 (19) (41) परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2012–13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय की दरों में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:–

मानदेय की दरें:–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रू. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रू. प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	9000/–	10000/–
प्रधान, पंचायत समिति	6000/–	7000/–
सरपंच, ग्राम पंचायत	3500/–	4000/–

जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच को मानदेय राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि से किया जावेगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 101702662 दिनांक 01.06.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त